



**उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH**

(माला-19)

GB 437846

प्रदेश में निम्न सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा विषयगत स्त्री शैक्षणिक शिक्षण संस्थान स्थापित की जा रही है  
अथवा सत्र 2022-23 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है की अथवा/सचिव के सदृश प्रस्ताव से प्रस्तुत किये  
जाने वाला नोटरी सम्बन्ध सत्र का प्रस्ताव:-

इन मोहम्मद सतुद एव अब्दुल सत्तार अगवा अथवा एव सचिव मोहम्मद इहसामुल किकीलि इस्लामी मुजलफराबाद  
सहायनपुर जयपुर शालासुर्विक निम्नवत् सफल करते है-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

किसीन्ट इम्पियल कोलेज ऑफ फार्मेसी मुजलफराबाद,सहायनपुर

किसीन्ट इम्पियल पब्लिक कोलेज मुजलफराबाद,सहायनपुर

\_\_\_\_\_

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विषय के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	प्लॉट	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल है
1	2	3	4	5
	मुजलफराबाद	744	0.8250	0.8250
	मुजलफराबाद	751	0.4250	0.4250

3. यह कि, उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं के निम्न विषय के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का स्थान	प्लॉट	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	किसीन्ट इम्पियल कोलेज ऑफ फार्मेसी	0.8250	मुजलफराबाद	744	0.8250	
2	किसीन्ट इम्पियल पब्लिक कोलेज	0.4250	मुजलफराबाद	744	0.4250	



*(Faint handwritten text or signature)*

8. यह कि, इस संस्था में फार्मरी कानूनियल ऑफ इन्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित नवनों में फार्मरी कानूनियल ऑफ इन्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चतम लक्ष्य से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटी/आईई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक फ्लार रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मरी कानूनियल ऑफ इन्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रोजिक एवं अर्सेनिक स्टॉक की किन्हीं सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व खर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का कर्तव्यपालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हो सचिव 

  
हो अध्यक्ष

NOTARISED BY

Sworn & Verified Before Me

  
ADY/PA-16, Notary Public, India  
Raj. No. 6617/08